उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-14/2019/09अ0मु0स0/92-2-2019-31जांच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 24 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फैजाबाद में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 में मवई पटरंगा मार्ग से सिपाहिया ग्राम के आगे झरना नाले पर 5X6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति मु0 रू0 9,93,399.00 में से रू0 49,670.00 के अंश हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-जी-1635/ग्रा0अ0वि0/कैम्प/नि0मु0 अ0/एस0एन0पा0/18-19 दिनांक 30-10-2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का0 अधिशासी अभियंता पर अधिरोपित मात्र एक आरोप स्थापित नही पाया गया है। अतएव श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0- वाराणसी के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-06-2018 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2019/09अमुस0/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परि0-वाराणसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in